By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

DATE: 06|08|2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 30 (THIRTY)

राष्ट्रपति चुनाव से सम्बंधित अन्य मुख्य तथ्य :

(i) राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं, यह 29 अप्रैल, 1974 को अनु० 143 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से माँगा गया परामर्श के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।

(2) राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष करवाने की वजहें —

(i) भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमण्डल के हाथ में रहती है अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाएगी। संथानम् के शब्दों में, "यह महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा।"

(ii) भारत एक अत्यधिक मतदाता वाला देश है और इतने मतदाताओं के द्वारा दो बार — प्रथम बार कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के निर्वाचन हेतु और द्वितीय बार कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के निर्वाचन हेतु प्रत्यक्ष विधि से चुनाव कराने से

Scanned with CamScanner

समय, शक्ति और धन की बहुत बर्बादी होगी।

(iii) यदि प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे तो उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है और जिसका परिणाम संवैधानिक द्वन्द्व होगा।

राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का मूल्यांकन :

आलोचकों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' तथा 'एकल संक्रमणीय मत' शब्दावलियों का जो उल्लेख किया गया है, वह सही नहीं है। ये वहीं उचित होगा, जहाँ कम-से-कम दो प्रतिनिधियों को चुना जाना हो। लेकिन जहाँ एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो, वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस पद्धति को 'विकल्पात्मक मत' (Alternate vote) या 'वरीयतात्मक मत' (Preferential Vote) भी कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं, वरन् यह निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है।

इस पद्धति का एक सम्भव दोष यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या दो से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिह्नित नहीं करते अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा? यह दोष तभी दूर हो सकता है, जबकि कुछ विकल्पों को चिह्नित करना अनिवार्य कर दिया जाए।

राष्ट्रपति चुनाव पद्धति की उपर्युक्त वर्णित कमियाँ

रहते हुए भी इसका अपना महत्व है (i) इसके अन्तर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, जिसे कुछ मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत, जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। (ii) इनमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत न हो, तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा।

परिलब्धियाँ, भत्ते और पेंशन :-

अनु० 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियाँ (Emoluments) और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। कार्यकाल के दौरान इनके परिलब्धियों एवं भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन पाँच लाख रुपए है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेन्शन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार, आदि भी उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 ई० में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया।

× —— × —— × —— ×

सम्भावित प्रश्न :

(1) राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को क्यों अपनाया गया है?

(2) राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए।

Scanned with CamScanner